



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1297 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1297

विषय / Sub :सर्वो ग्रीस सीआईएटीआईएम - 201

SERVO GREASE CIATIM - 201

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश जीओएसटी - 6267 (समतुल्य विनिर्देश: जेएसएस 9150 - 35: 2003, रिविजन सं.:1) के लिए मेसर्स इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रीस प्लांट, वाषी, डी-100, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कुक्षत विलेज, वाषी, नवी मुंबई-400 705, द्वारा उत्पादित "सर्वो ग्रीस सीआईएटीआईएम - 202" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1297, दिनांक 29 नवंबर 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1297 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1297/1ए/1आर, दिनांक 07जानवरी 2013 द्वारा संशोधन एवं नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "SERVO GREASE CIATIM - 202", to the specification GOST-6267 (Equivalent specification: JSS 9150 - 35: 2003, Revision No.:1) manufactured by M/s Indian Oil Corporation Limited, Grease Plant, Vashi, D - 100, T.T.C. Industrial Area, Kukshet Village, Vashi, Navi Mumbai - 400 705, was issued with Type Approval No.: 1297 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1297, dated: 29th November 2007. It was subsequently amended & renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1297/1A/1R, dated: 07th January 2013 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ व एफ ओ एल), डी आर डी ओ, सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, बेंगलूरु- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), DRDO, CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1297, दिनांक 29 नवम्बर 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेदपाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1297, dated: 29th November 2007.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”


“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1297/2R
दिनांक/ Date : 23 July 2018
फैक्स सं./Fax No.: 080-2523 0856

K. J. R.


(पी . जयपाल/ P. JAYAPAL)
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)